Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

सामान्य वर्ग एवं पिछ़डे वर्ग का आरक्षण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

डॉ० गिरीश कुमार वत्स
प्राचार्य, ऐ० टी० एम० एस० कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, अछेजा, हापुड़, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3, Issue 6
Page Number : 133-141

Publication Issue :
November-December-2020

Article History
Accepted : 10 Nov 2020
Published : 24 Nov 2020

सरांश– प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि बिना किसी भेद–भाव के अपने नागरिकों को स्वयं के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करें। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में भी निम्न जातियों के उत्थान एवं विकास के लिए आरक्षण व्यवस्था के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त अस्पृश्यता, भेद भाव, छुआछूत तथा असमानता को दूर करके सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना के स्वप्न को साकार रूप देना था। भारत में आरक्षण व्यवस्था को लागू हुए 50 वर्षों से भी अधिक हो चुके हैं। इस समयावधि में हम सब आरक्षण व्यवस्था के परिणामों व निहितार्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो इसके अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष हमारे सामने आते हैं। इन 50 वर्षों से अधिक की समयावधि में इस व्यवस्था की सफलता असफलता, इसके सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना में योगदान वर्तमान भूमंडलीकरण, बाजारवाद तथा निजीकरण की बदलती परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता आदि पर विचार करना महत्वपूर्ण हो गया है। मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी अंग प्रगति करें। समाज के सभी अंगों से यहां तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तथा क्षेत्रों के अर्थात् प्रत्येक मनुष्य के प्रगति करने से है। व्यक्ति के विकास तथा प्रगति पर उसकी सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पडता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढने के लिए कुछ अवसरों तथा सुविधाओं की आवश्यकता होती है तथा एक आदर्श सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को स्वयं का विकास एवं प्रगति करने हेतु समान अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध होनी आवश्यक है।

मुख्य शब्द– सामान्य वर्ग, पिछ़ड़ा वर्ग, आरक्षण, व्यवस्था, राष्ट्र, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना– प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि बिना किसी भेद–भाव के अपने नागरिकों को स्वयं के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करें। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में भी निम्न जातियों के उत्थान एवं विकास के लिए आरक्षण व्यवस्था के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त अस्पृश्यता, भेद भाव, छुआछूत तथा असमानता को दूर करके सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना के स्वप्न को साकार रूप देना था। किसी भी राष्ट्र के निर्माण व उसके विकास को दिशा प्रदान करने में उसके युवा वर्ग की भूमिका निःसन्देह अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। बच्चे यदि राष्ट्र का भविष्य है तो युवा राष्ट्र का वर्तमान तथा एक सीमा तक भविष्य भी होते हैं। राष्ट्र की किसी भी समस्या या मुद्दों पर उनके विचारों दृष्टिकोणों का विशेष महत्व है। अतः शोधार्थी ने इन्हीं दो आधारों (आरक्षण व्यवस्था तथा युवाओं का दृष्टिकोण) को अपने लघु शोध का विषय बनाया। विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम भारतीय समाज की संरचना तथा आरक्षण व्यवस्था की अवधारणा पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है जो लघु शोध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

समस्या कथन– सामान्य वर्ग एवं पिछ़डे वर्ग का आरक्षण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

शोध अध्ययन के उद्देश्य– किसी भी शोधकर्ता द्वारा अपने शोध विषय का चयन करने के पश्चात् अपने अध्ययन के उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं का निर्धारण करना शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. आरक्षण के विभिन्न बिन्दुओं के प्रति युवाओं के दृष्टिकोणों को जानना।
2. पिछले 5 दशक से लागू आरक्षण व्यवस्था की उपादेयता के विषय में विभिन्न वर्गों के युवाओं के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. आरक्षण की पूर्णतः समाप्ति के विषय में विभिन्न वर्गों के युवाओं के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. आरक्षण द्वारा गुणात्मकता के स्तर पर प्रभाव के प्रति विभिन्न वर्गों के युवाओं के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. वर्तमान भूमंडलीकरण व उदारीकरण के युग में आरक्षण की प्रासंगिकता के प्रति युवा वर्ग के विचारों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाए– शोधार्थी ने अपने अध्ययन की परिकल्पनाओं के सांख्यिकीय सार्थकता परीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए शून्य परिकल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत किया है–

1. पिछले 5 दशकों से लागू आरक्षण व्यवस्था के प्रति सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. पिछले 5 दशकों से लागू आरक्षण व्यवस्था के प्रति सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. पिछले 5 दशकों से लागू आरक्षण व्यवस्था के प्रति अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. आरक्षण का गुणात्मकता के स्तर पर प्रभाव के प्रति सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

5. आरक्षण का गुणात्मकता के स्तर पर प्रभाव के प्रति सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमाएं

प्रत्येक क्षेत्र की समस्या का स्वरूप अत्यन्त व्यापक होता है। अनुसन्धानकर्ता भी अपनी समस्या का क्षेत्र अपनी सीमाओं में रखने का प्रयास करती है। प्रस्तुत लघु शोध की भी निम्न परिसीमाएं निर्धारित की गई है–

1. इस अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र जिला मुरादाबाद में अध्ययनरत युवाओं तक सीमित रहेगा।
2. अध्ययन हेतु 21 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को ही चयनित किया गया है। इससे कम या अधिक आयु के व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. इस अध्ययन में मात्र ऐसे युवाओं का चयन किया जायेगा जो स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
4. समस्या का अध्ययन इसके तीन पक्षों वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, आरक्षण का गुणात्मकता के स्तर पर प्रभाव तथा आरक्षण की समाप्ति के प्रति दृष्टिकोण तक ही सीमित रखा जायेगा।
5. इस शोध कार्य में स्वयं निर्मित आरक्षण अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया जायेगा।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अप्रयोगात्मक शोध के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। अप्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें शोधकर्ता परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकता तथा साथ ही साथ इच्छानुसार जोड–तोड भी नहीं कर सकता। अतः इस प्रकार के शोध में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के संबंधों को तथा इन दोनों चरों के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयत्न किया जाता है।

शोध विधि अनुसन्धान क्रिया को संपादित करने का एक व्यवस्थित पदक्रम है जो समस्या की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। शोधार्थी अपने शोध की समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का चयन अपने शोध कार्य हेतु किया है क्योंकि किसी विशिष्ट मानव, समुदाय, संस्था, किसी नीति अथवा योजना आदि की आलोचनात्मक ढंग से व्याख्या करने तथा वर्तमान स्थिति का वर्णन करने हेतु सर्वेक्षण अध्ययन विधि ही उपयुक्त मानी जाती है।

चर (Variable)

प्रस्तुत शोध में दो चर हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1. आश्रित चर–किसी भी शोध अध्ययन में आश्रित चर वह होता है जिसके विषय में शोधार्थी कुछ पूर्व कथना करना चाहता है। इस चर का शोधार्थी सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है तो उसे लिखता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में युवाओं की प्रतिक्रिया को आश्रित चर माना गया है।
2. स्वतन्त्र चर–स्वतन्त्र चर वह चर कहलाता है जिसमें शोधार्थी जोड–तोड करता है तथा उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। प्रस्तुत शोध में स्वतन्त्र चर आरक्षण व्यवस्था को माना गया है।

शोध की जनसंख्या

शोधार्थी ने अपनी सामर्थ्य तथा उपलब्ध समय एवं साधनों को दृष्टिगत रखते हुए अपने अध्ययन के लिए केजीके महाविद्यालय ग्राम व पोस्ट मुरादाबाद में अध्ययनरत युवाओं को ही अपने शोध कार्य के लिए जनसंख्या के रूप में चयनित करने का निर्णय लिया है।

प्रतिदर्श

न्यायनदर्श शोध की प्रमुख आधारशिला है। शोध कार्य की सत्यता व वैधता इसी पर आधारित है। शोधार्थी की समस्या आरक्षण संबंधी है। अतः जनसंख्या में भी इस दृष्टि में तीन वर्ग बनते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग। शोधार्थी ने इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वर्ग से 50–50 युवाओं को न्यायदर्श के रूप में चयनित करने का निर्णय लिया। अतः शोधार्थी का अध्ययन कुल 150 न्यायदर्श पर आधारित है।

कुल प्रतिदर्श की संख्या	150
1–सामान्य वर्ग के युवाओं की संख्या	50
2–अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं की संख्या	50
3–अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं की संख्या	50

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने युवाओं की आरक्षण के प्रति प्रतिक्रिया जानने हेतु लिकर्ट विधि का प्रयोग कर एक आरक्षण अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया। अध्ययन विषय की व्यापक जानकारी हेतु साहित्य का अध्ययन किया गया तथा विभिन्न व्यक्तियों एवं विद्वानों से विचार विमर्श के पश्चात् शोध आंकडों के एकत्रीकरण हेतु आरक्षण अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया।

आंकडों का विश्लेषण तथा सांख्यिकी विधि

किसी भी शोध परिणाम की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण कार्य आंकडों का विश्लेषण है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही वे परिणाम उपलब्ध होते हैं जिन पर किसी भी अध्ययन के निष्कर्ष आधारित होते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए एकत्रित तथ्यों एवं समंकों का संपादन, सम्परीक्षण वर्गीकरण, संकेतन, सारणीयन आदि सांख्यिकीय सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा। सही व्याख्या एवं निष्कर्ष निकालने हेतु समान्तरमाध्य, मानक विचलन, टी–टेस्ट आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा। आंकडों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य रूपों में प्रस्तुत करने हेतु तालिका एवं ग्राफिक्स का भी प्रयोग किया गया है।

सामान्य वर्ग के युवाओं का दृष्टिकोण

क्र. सं.	प्राप्तांक	आवृत्ति	प्रतिशत	व्याख्या
1	12–17	0	0 %	पूर्णतः सहमत
2	18–35	2	4 %	सहमत
3	36	0	0 %	अनिश्चित
4	37–53	43	86 %	असहमत
5	54–60	5	10 %	पूर्णतः असहमत

व्याख्या–उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग 50 युवाओं में से वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से पूर्णतः सहमत कोई भी युवा नहीं है। मात्र 4 % युवा इससे सहमति प्रकट करते हैं तथा 10 % युवा तो इससे पूर्णतः असहमत है। वस्तुतः सामान्य वर्ग के युवाओं को आरक्षण व्यवस्था का कोई लाभ न होकर इससे हानि उठानी पडती है। उनका मानना है कि इसके चलते योग्यता व प्रतिभा की अवहेलना होती है। अतः अधिकांश सामान्य वर्ग के युवा आरक्षण व्यवस्था के प्रति असहमति का दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ युवा

जो समाज में समानता हेतु आरक्षण के पक्ष में तो हैं किन्तु आरक्षण व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप से वे भी असन्तुष्ट है।

अन्य पिछडा वर्ग के युवाओं का दृष्टिकोण

क्र. सं.	प्राप्तांक	आवृत्ति	प्रतिशत	व्याख्या
1	12–17	0	0 %	पूर्णतः सहमत
2	18–35	3	6 %	सहमत
3	36	0	0 %	अनिश्चित
4	37–53	46	92 %	असहमत
5	54–60	1	2 %	पूर्णतः असहमत

व्याख्या–उक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि अन्य पिछडे वर्ग 50 युवाओं में से वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से पूर्णतः सहमत कोई भी युवा नहीं है। मात्र 6 % युवा इससे सहमति प्रकट करते हैं तथा 92 % युवा वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हैं तथा 2 % युवा तो इससे पूर्णतः असहमत हैं। आंकडों से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तथापि वे आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से असहमति प्रकट करते हैं। वस्तुतः आरक्षण व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में अनेक खामियां हैं जिसके चलते इसका लाभ समाज के उस वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा जहां तक पहुंचना चाहिए था।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं का दृष्टिकोण

क्र. सं.	प्राप्तांक	आवृत्ति	प्रतिशत	व्याख्या
1	12–17	0	0 %	पूर्णतः सहमत
2	18–35	26	52 %	सहमत
3	36	2	4 %	अनिश्चित
4	37–53	22	44 %	असहमत
5	54–60	0	0 %	पूर्णतः असहमत

व्याख्या–उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 50 युवाओं में से 52 % युवा वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से सहमति प्रकट करते हैं। 4 % युवा इस पर अनिश्चित स्थिति में हैं तथा 44 % युवा इससे असहमति प्रकट करते हैं। आंकडों से स्पष्ट है कि यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिल रहा है तथा 52 % युवा इस व्यवस्था से सहमति भी प्रकट करते हैं तथापि इनमें 44 % युवा ऐसे हैं जो आरक्षण व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप से असहमत हैं। वस्तुतः इसका एक कारण यह है कि पिछले 50 वर्षों में भी आरक्षण का लाभ उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाया वास्तव में जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था।

1. हमारी प्रथम परिकल्पना के अनुसार वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के प्रति सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। .01 स्तर पर सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की उपादेयता के विषय में सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं

का दृष्टिकोण समान है। अध्ययन में सम्मिलित 100 युवाओं में से 7 % युवा इससे असहमति प्रकट करते हैं। मात्र 5 % युवा ही इससे सहमत हैं। वस्तुतः हमारा अध्ययन उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं पर आधारित होने से यद्यपि अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तथापि वे इससे असहमत हैं। इनमें से बहुत से इसके वर्तमान स्वरूप से असहमति प्रकट करते हैं साथ ही युवा समझते हैं कि आरक्षण जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था उस दिशा में उचित प्रगति नहीं कर पा रहा है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेते भी उच्च शिक्षा में आरक्षण की सुविधा दिये जाने के विरूद्ध है तथा रोजगार में जाति के साथ ही आर्थिक आधार को भी जोडे जाने के पक्ष में है। इसी सन्दर्भ में पनान्डीकर (1997) लिखते हैं कि आरक्षण के बजाए संस्कृतिकरण से कई जातियों व समुदायों व समुदायों की प्रतिष्ठा में परिवर्तन हुआ है अतः भारत में सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही पिछडेपन व गरीबी की समस्या को सुलझाया जा सकता है न कि राजनीतिक व कानूनी तरीके से।

2. हमारी दूसरी परिकल्पना वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के विषय में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जननाति के युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है असत्य सिद्ध होती है। हमारे शोध परिणाम दर्शाते हैं कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के प्रति सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर है। सामान्य वर्ग का युवा जहां इससे असहमति रखता है वही आरक्षण का लाभ प्राप्त होने के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का युवा इससे सहमति प्रकट करता है। यद्यपि इस वर्ग के भी 44 % युवा इससे असहमत है किन्तु वे आरक्षण से नहीं वरन् इसके लागू किए जाने के ढंग एवं व्यवस्था से असहमत है। शोधार्थी के शोध अध्ययन में भी यही परिणाम निकलकर सामने आए हैं कि सामान्य वर्ग के छात्र आरक्षण का विरोध करता है जबकि आरक्षित वर्ग के लोग इसका समर्थन करते हैं।
3. वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के प्रति अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है कि हमारी तीसरी परिकल्पना भी असत्य सिद्ध होती है। हमारे शोध परिणाम दर्शाते हैं कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की उपादेयता के प्रति अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर है। अर्थात् अन्य पिछडा वर्ग के 92 % युवा इससे असहमति प्रकट करते हैं तथा 24 % युवा इससे पूर्णतः असहमत हैं जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग आरक्षण व्यवस्था से असहमति प्रकट करने वाले युवा मात्र 44 % हैं। वस्तुतः अध्ययन में सम्मिलित अन्य पिछडे वर्ग के युवा समझते हैं कि यदि आरक्षण व्यवस्था समाप्त भी हो जाए तो भी वे अपनी योग्यता के बल पर पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का युवा समझता है कि उसे अभी और संरक्षण की आवश्यकता है। मलिक (1971) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति के लोग मानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था के कारण उनकी व्यावसायिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है किन्तु सामाजिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।
4. हमारी चतुर्थ परिकल्पना गुणात्मकता के स्तर पर आरक्षण व्यवस्था के प्रभाव के प्रति सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सत्य सिद्ध होती है। अर्थात इन दोनों के दृष्टिकोण में प्राप्त अन्तर .01 स्तर पर सार्थक नहीं है। हमारे अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि गुणात्मक के स्तर पर आरक्षण के प्रभाव के विषय में सामान्य वर्ग के जहां 34

% युवा इससे पूर्णतः सहमत हैं वहीं अन्य पिछडे वर्ग के 26 % युवा भी इससे पूर्णतः सहमत हैं तथा इस पर सहमति दर्शाने वाले सामान्य वर्ग के जहां 64 % युवा है वहीं अन्य पिछडे वर्ग के 66 % युवा इससे सहमति प्रकट करते हैं। वस्तुतः दोनों वर्ग के युवा मानते हैं कि आज के वैश्वीकरण व निजीकरण के दौर में प्रतिभा एवं योग्यता का महत्व है और इस हेतु खुली व स्पष्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। आरक्षण के बल पर कई बार अयोग्य व्यक्ति भी चयनित हो जाता है जो उस पद के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते हैं।

5. गुणात्मक के स्तर पर आरक्षण व्यवस्था के प्रभाव के प्रति सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, कि हमारी परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है अर्थात् इस विषय में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर है। हमारे शोध परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं में 2 % युवा इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि आरक्षण का गुणात्मकता के स्तर पर प्रभाव पडता है तथापि सामान्य वर्ग में ऐसे युवा 34 % हैं। साथ ही 60 % युवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवा इस विषय में सहमति प्रकट करते हैं जबकि सामान्य वर्ग के ऐसे युवा 64 % हैं। वस्तुतः चिन्तनशील एवं जागरूक अनुसूचितजाति एवं जनजाति वर्ग के युवा के अधिकांश युवा भी इस बात को समझने लगे हैं कि आज के भूमण्डलीकरण व निजीकरण के दौर में योग्यता व प्रतिभा के बल पर ही आगे बढा जा सकता है किन्तु साथ ही अभी भी बहुत से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं का मानना है कि प्रायः वे न्यूनतम योग्यता पूर्ण करके तथा प्रतियोगिता में अपने वर्ग के प्रतियोगियों में से चयनित होकर आते हैं अतः आरक्षण से गुणात्मक के स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता।
6. हमारी छठी परिकल्पना गुणात्मकता के स्तर पर आरक्षण के प्रभाव के विषय में अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थ अन्तर नहीं है, असत्य सिद्ध होतह है अर्थात् इस विषय में सार्थक अन्तर नही है। हमारे शोध परिणाम दर्शाते हैं कि जहां अन्य पिछडे वर्ग में गुणात्मकता के स्तर पर आरक्षण के प्रभाव से असहमति दर्शाने वाले 8 % युवा हैं। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 34 % युवा इससे असहमति रखते हैं। यद्यपि ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथापि इनमें अन्य पिछडे वर्ग का युवा स्पष्ट रूप से मानता है कि आरक्षण का गुणात्मकता के स्तर पर प्रभाव पडता है जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं में बहुत से युवा इस बात से सहमत नहीं हैं।
7. हमारी सातवीं परिकल्पना कि आरक्षण की पूर्णतः समाप्ति के प्रति सामान्य वर्ग तथा पिछडे वर्ग युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, असत्य सिद्ध होती है। अर्थात हमारे शोध परिणाम दर्शाते हैं कि आरक्षण की पूण्रतः समाप्ति के प्रति सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में दोनों स्तरों पर .01 व .05 सार्थक अन्तर है। यद्यपि जहां सामान्य वर्ग के 32 प्रतिशत युवा इसकी समाप्ति से पूर्णतः सहमत हैं तथा 62 प्रतिशत हैं वहीं अन्य पिछडे वर्ग के भी 8 प्रतिशत युवा इसकी समाप्ति से पूर्णतः सहमत तथा 70 प्रतिशत सहमति रखते हैं किन्तु अन्य पिछडे वर्ग के युवा आरक्षण की समाप्ति से असहमति जताते हैं वहीं अन्य पिछडे वर्ग के 22 प्रतिशत युवा इसकी समाप्ति से असहमति जताते हैं।

8. आरक्षण की पूर्णतः समाप्ति के प्रति सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, कि हमारी आठवीं परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है। हमारे शोध परिणाम दर्शाते हैं कि आरक्षण की समाप्ति को लेकर सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर है। सामान्य वर्ग के जहां 32 प्रतिशत युवा इसकी समाप्ति से पूर्णतः सहमत हैं, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मात्र 2 प्रतिशत युवा ही इससे पूर्णतः सहमत हैं। सामान्य वर्ग में जहां मात्र 6 प्रतिशत युवा आरक्षण की समाप्ति से असहमत हैं, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में 70 प्रतिशत युवा इसकी समाप्ति से असहमति दर्शाते हैं। वस्तुतः क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अतः वे इसे निरन्तर प्राप्त करते रहना चाहते हैं तथा उनका माना है कि इस वर्ग के युवाओं को अभी इतनी सुविधाएं तथा वे परिस्थितियां प्राप्त नहीं हैं कि खुली प्रतियोगिताओं में वांछित परिणाम प्राप्त कर पाएं। वहीं चूंकि सामान्य वर्ग के युवाओं की आरक्षण व्यवस्था के चलते हानि उठानी पड रही है। अतः वे इसकी समाप्ति के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि आरक्षण के चलते सामान्य वर्ग का प्रतिभावन एवं योग्य युवा भी चयनित नहीं हो पाता जबकि आरक्षित वर्ग का कम योग्य प्रतिभागी भी चयनित हो जाता है। साथ ही बहुत से सामान्य वर्ग के युवाओं का मानना है कि निम्न व पिछडी जातियों के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति व अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए किन्तु प्रतियोगिता के समय कोई छूट न देकर योग्यता व प्रतिभा के आधार पर चयन होना चाहिए।
9. हमारी नवीं परिकल्पना के अनुसार आरक्षण व्यवस्था की पूर्णतः समाप्ति के प्रति अन्य पिछडे वर्ग तथा अनूसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, असत्य सिद्ध होती है। अर्थात आरक्षण की समाप्ति को लेकर अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर है। हमारी शोध परिणाम दर्शाते हैं कि अन्य पिछडे वर्ग के जहां 70 प्रतिशत युवा आरक्षण की समाप्ति पर सहमति प्रकट करते हैं वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं में मात्र 20 प्रतिशत युवा हीं इससे सहमत हैं कि जबकि अन्य पिछडे वर्ग के जहां 22 प्रतिशत युवा आरक्षण की समाप्ति से असमत हैं वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 70 प्रतिशत युवा इससे असहमति जताते हैं। वस्तुतः अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं में कुछ का मानना है कि यदि आरक्षण पूर्णतः समाप्त कर भी दिया जाए तो कुल चयनित पदों में उनकी भागीदारी में कोई विशेष अन्तर नहीं आएगा। अतः वे इसकी समाप्ति से सहमति जता देते हैं। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं का मानना है कि यदि आरक्षण पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा तो उनके लिए खुली प्रतियोगिता में स्थान बना पाना अत्यन्त कठिन होगा तथा उनकी स्थिति पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पडेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची।

1. भार्गव महेश 2005 आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, आगरा, एच0 पी0 भार्गव बुक हाउस।
2. शर्मा, आर0ए0 2001 शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक में मापन एवं मूल्यांकन, मेरठ, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
3. नॉरग, अमर सिंह, भारतीय शासन एवं राजनीति नई दिल्ली, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस।
4. अम्बेडकर, बी0आर0 1940 दलित कौन और कैसे, नई दिल्ली।
5. बसु, दुर्गादास 1994 भारत का संविधान, नई दिल्ली।

6. जगजीवन राम, भारत में जातिवाद व हरिजन समस्या, दिल्ली, रामलाल एण्ड सन्स प्रकाशन।
7. दिनकर, आर0एस0 1994 संस्कृति के चर अध्याय, इलाहाबाद, भार्गव प्रेस।
8. सक्सेना, एन0आर0 स्वरूप 2004 उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षक, मेरठ, आर लाल बुक डिपो।
9. गुप्ता, मोतीलाल 1978 भारतीय सामाजिक संस्था, जयपुर।
10. श्रीनिवास, एम0एन0 1971 आधुनिक भारत में जातिवाद और अन्य निबन्ध, भोपाल।
11. बर्द्धन, ए0बी0 1990 वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष, जयपुर प्रकाशन।

पत्र पत्रिका सूची।

1. कपूर मस्तराम 4.7.2007 जनसत्ता दैनिक दिल्ली 4, सम्पादकीय।
2. पुंज बलवीर 27.12.2005 आरक्षण का अन्याय, दैनिक जागरण।
3. विज्ञान, राज, भारत में सामाजिक आन्दोलन और राजनीति (इग्नू)।
4. झुनझुनवाला भारत 2000 दलित नेतृत्व और आम दलित।
5. सच्चिदानन्द 1993 द हरिजन एलीट, दिल्ली।
6. अम्बेडकर, बी0आर0 1948 अस्पृश्यता सामान्य पत्रिका।

शोध ग्रन्थ सूची।

1. मलिक 1971 सोशल कन्सिक्वेसिस ऑफ सोशल मॉबिलिटी अमंग शेड्यूल कास्ट।
2. पटवर्द्धन एस0 1973 चेंज अमंग इण्डियन हरिजन, ए केस स्टडी।
3. देवी 1986 अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रारम्भिक शिक्षा।
4. सिंह 1992 अनुसूचित जाति के विश्वविद्यालय के छात्रों के सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन।
5. सिंह 1993 अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन।